(घ) यदि हां, तो जनवरी, 1996 के माह में ऐसी कितनी बसें थीं और वर्ष 1995 में निगम द्वारा प्रति माह औसतन कितनी-कितनी बसें चलाई गई थी;; और

(ङ) इससे यात्रियों से किराए के रूप में औसतन कुल कितनी राजस्व राशि प्राप्त की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्ष 1996 के दौरान दिनांक 17.2.96 से 10.4,96 तक दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े मे 2770 बसें थी;।

(ग) यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की सवारी ढोने लायक बसों की संख्या कम ही थी।

(घ) और (ङ) जनवरी, 1996 के महीने में दि०प०नि० की औसतन 1732 बसें प्रतिदिन सड़कों पर प्रचालन करती थीं। वर्ष, 1995 के दौरान सवारी ढोने के लिए दि०प०नि० ने प्रतिमाह औसतन 1809 बसें चलाई थी और सवारियों से प्रतिमाह भाड़े के रूप में औसतन 12.74 करोड़ रु० की आय हुई थी।

Meeting of the Indo-Nepal Joint River Commission

435. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any meeting of the Indo-Nepal Joint River Commission was held for the settlement of disputes regarding sharing of river water during last three years; and

(b) if so, the details thereof and the decisions arrived at therein?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No India-Nepal Joint River Commission has been constituted for settlement of disputes regarding sharing of waters.

(b) Does not arise.

जल-भूतल परिवहन क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश

436. **श्री अजीत जोगी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल-भूतल परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू वर्ष में इस संबंध में कोई नई नीति तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की अनुमति देने का विचार रखती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) से (घ) हाल के आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप जल-भूतल परिवहन क्षेत्र को, विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कार्य कुशलता में सुधार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए खोल दिया गया है। विदेशी निवेशकों को फेरा (एफईआरए) जैसे सामान्य वित्तीय नियमों/विनियमों के अध्यधीन देशी निजी निवेशकों के समकक्ष समझा जाता है। उद्यमियों का चयन प्रतियोगी बोलियों पर आधारित होगा। उद्यमी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तथापि, मानकों, विशिष्टियों, ढांचे की सुरक्षा तथा संतोषजनक प्रचालन और प्रबंध के बारे में सरकार को संतुष्ट रखना होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा यथा-अनुमोदित वित्तीय रियायतें निवेशकों को उपलब्ध होंगी।

Deportaffon of Indians from Dubai

437. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is has been brought to the notice of Government that every month 600 Indians are being deported cither by sea or by air from Dubai for overstaying or staying without valid travel documents;

(b) whether the Indian diplomats felt that they were victims of seeking jobs by the unscrupulous agents there and in India; and

(c) if so, the reaction of Government and the steps taken to end this practice and punish the Indian agents involved in the matter?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Government is aware that a large number